"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 209] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 अगस्त 2002—भाद्र 1, शक 1924

वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10/75/2002/वाक (पं.)/पांच (93).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का संख्यांक 16) की धारा 5 तथा 7 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा :—

1. उक्त अधिनियम के लिये कोरबा जिला गठित करती है तथा निर्देश देती है कि उक्त जिले की सीमायें, कोरबा जिले की राजस्व सीमाओं के सम विस्तीर्ण रहेंगी तथा इस प्रयोजन से इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 35397-आर. दिनांक 25 जनवरी, 1958 में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में—

(i) प्रथम अनुसूची में, बिलासपुर संभाग शीर्ष के अंतर्गत, "बिलासपुर" शब्द के नीचे प्रथम एवं द्वितीय खण्ड में शब्द कोरबा अंत: स्थापित किया जाये.

(ii) द्वितीय अनुसूची में, बिलासपुर संभाग शीर्ष के नीचे बिलासपुर जिले की सीमायें इस प्रकार परिवर्तित की जाएं जिससे कि उसमें संपूर्ण कोरबा, कटघोरा, करतला, पाली तहसीलें अपवर्जित हो जाएं, तथा कोरबा, कटघोरा, करतला, पाली को समाविष्ट करते हुये नवीन जिला कोरबा गठित हो.

2. कोरबा में एक कार्यालय स्थापित करती है जिसका अभिनाम जिला पंजीयक कार्यालय कोरबा होगा, और

3. यह निर्देश देती है कि खण्ड (1) तथा (2) के अधीन जिले का बनाया जाना तथा जिला पंजीयक कार्यालय का स्थापित किया जाना 5-9-2002 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2002

क्रमांक एफ 10/75/2002/वाक (पं)/पांच (93).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10/75/2002/वाक/(पं.)/ पांच (93), दिनांक 23-8-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 23rd August 2002

NOTIFICATION

No. F 10/75/2002/CT (R)/V (93).—In exercise of the powers conferred by Section 5 and 7 of the Registration Act, 1908 (No. XVI of 1908), the State Government, hereby :—

1. Forms for the said Act the district of Korba and directs that the limits of the said district shall be coextensive with the revenue limits of Korba district and for the purpose makes the following amendment in this Department's notification No. 35397-VI-R dated 25th January, 1958 namely :—

AMENDMENT

In the said notification—

(i) In the first schedule, under the heading Bilaspur Division, the first and second columns below the word "Bilaspur", the word "Korba" shall be inserted.

(ii) In the second schedule, under the heading of Bilaspur Division, the limits of Bilaspur District be altered as to exclude there from the whole of Korba, Kathghora, Kartala. Pali. Tahsils and a new District Korba be created.

2. Established an office in Korba to be styled as the office of the District Registrar Korba, and

3. Directs that the formation of the District and the establishment of the office of District Registrar under clause (1) and (2) shall take effect on and from 5-9-2002.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10/75/2002/वाक (पं.)/पांच (94).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का संख्यांक 16) की धारा 5 तथा 7 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा :—

1. उक्त अधिनियम के लिये धमतरी जिला गठित करती है तथा निर्देश देती है कि उक्त जिले की सीमायें, धमतरी जिले की राजस्व सीमाओं के सम विस्तीर्ण रहेंगी तथा इस प्रयोजन से इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 35397-आर. दिनांक 25 जनवरी, 1958 में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में—

(i) प्रथम अनुसूची में, रायपुर संभाग शीर्ष के अंतर्गत, "रायपुर" शब्द के नीचे प्रथम एवं द्वितीय खण्ड में शब्द धमतरी अंत: स्थापित किया जाये.

(ii) द्वितीय अनुसूची में, रायपुर संभाग शीर्ष के नीचे रायपुर जिले की सीमायें इस प्रकार परिवर्तित की जाएं जिससे कि कुरूद, नगरी, धमतरी तहसीलें अपवर्जित हो जाएं तथा कुरूद, नगरी, धमतरी को समाविष्ट करते हुए नवीन जिला धमतरी गठित हो.

2. धमतरी में एक कार्यालय स्थापित करती है जिसका अभिनाम जिला पंजीयक कार्यालय धमतरी होगा, और

3. यह निर्देश देती है कि खण्ड (1) तथा (2) के अधीन जिले का बनाया जाना तथा जिला पंजीयक कार्यालय का स्थापित किया जाना 5-9-2002 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2002

क्रमांक एफ 10/75/2002/वाक (पं)/पांच (94).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ 10/75/2002/वाक/(पं.)/ पांच (94), दिनांक 23-8-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 23rd August 2002

NOTIFICATION

No. F 10/75/2002/CT (R)/V (94).—In exercise of the powers conferred by Section 5 and 7 of the Registration Act 1908 (No. XVI of 1908), the State Government, hereby :—

1. Forms for the said Act the district of Dhamtari and directs that the limits of the said district shall be coextensive with the revenue limits of Dhamtari District and for the purpose makes the following amendment in this Department's notification No. 35397-VI-R dated 25th January, 1958 namely :—

AMENDMENT

In the said notification—

(i) In the first schedule, under the heading Raipur Division, the first and second columns below the word "Raipur" the word "Dhamtari" shall be inserted.

(ii) In the Second schedule, under the heading of Raipur Division the limits of Raipur District be altered as to exclude there from the whole of Kurud, Nagari, Dhamtari Tahsils and a new Registration District Dhamtari be created.

2. Established an office in Dhamtari to be styled as the office of the District Registrar Dhamtari, and

3. Directs that the formation of the District and the establishment of the office of District Registrar under clause (1) and (2) shall take effect on and from 5-9-2002.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.